


11/11  
26/05/26

26/5/26

पत्रावली पेश हुई। वकील अग्रपक्ष उपर  
पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य-प्रतिवादी हेतु  
दि. 08/06/26 को पेश हो।

  
26/05/26

08/6/26

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित।  
स्वयं वादीगण भी अनुपस्थित। तीन बार  
आवाज लगाई लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं  
हुआ। अतः प्रकरण अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8  
CPC अधिनियम हाजरी अधिनियम के तहत खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल शुमार डेकड  
नम्बर से कम डेकड बाद तारीख दायित्व  
रफूद हो।

  
08/6/26

उपखण्ड अधिकारी  
पिड़या, जिला कन्नड़ (रु. 1)

